भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 928
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

तिपहिया वाहनों के लिए नीति

928. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी तिपहिया वाहनों (विशेषकर ऑटो) को इलेक्ट्रिक रिक्शा से प्रतिस्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2015 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ड़) क्या सरकार देश में चार पहिया वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को राजसहायता दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी लागत को कम करने के लिए किसी देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय कुल 10,000 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता से दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 5 वर्षो की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक/हाईब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु अखिल भारतीय आधार (उत्तर प्रदेश सहित) पर हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम के चरण-।। को प्रशासित कर रहा है। यह चरण सार्वजनिक एवं साझाकृत परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने और राजसहायता के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों तथा 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए

सहायता देने पर केन्द्रित है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं की रेंज संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन हेतु भी सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग): सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 5 वर्षों की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया है। इस पीएलआई स्कीम के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल हैं।

(घ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन-4 पोर्टल के अनुसार वर्ष 2015 से 2022 (08.12.2022) तक उत्तरप्रदेश राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल संख्या
2015	1,012
2016	15,309
2017	40,649
2018	53,211
2019	55,795
2020	31,261
2021	66,704
2022 (08.12.2022 तक)	1,51,035

(ड़) : जी हां, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के अन्तर्गत मांग प्रोत्साहन हेतु इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों को भी कवर किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से दिनांक 07.12.2022 तक 5,424 इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(च) : इस संबंध में, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

****